



2026:AHC:41765

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट ए संख्या - 19305/2025

फहीम अहमद

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : बंश गोपाल मिश्रा, सुधांशु पाण्डेय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधांशु पांडेय तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता (स्टैंडिंग काउंसल) श्री आर.एस. उमराव को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसकी प्रारंभिक नियुक्ति सिंचाई विभाग में कनिष्ठ अभियंता के पद पर दिनांक 22.08.2006 को हुई थी और तत्पश्चात उसे दिनांक 04.08.2022 को कार्यकारी अभियंता, सिंचाई विभाग, महोबा के पर्यवेक्षण के अधीन लखनऊ से जिला महोबा स्थानांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ता दावा करता है कि कार्यकारी अभियंता, सिंचाई प्रभाग, महोबा के आदेश दिनांक 03.11.2022 द्वारा उसे अइंझी एवं बिवार (उप-प्रभाग II) में कार्य आवंटित किया गया था और रिट याचिकाकर्ता ने कार्यभार ग्रहण कर लिया था। तथापि, रिट याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1991 के नियम 7 के अधीन जांच की परिकल्पना में मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा दिनांक 05.12.2025 को निलंबित कर दिया गया।

3. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

4. इस न्यायालय ने दिनांक 19.12.2025 को रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसमें निम्नलिखित आदेश पारित किए गए थे:-

"1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिवाद यह है कि रिट याचिकाकर्ता कनिष्ठ अभियंता होता है और उसका अनुबंध प्रदान करने या परिणामी आदेश जारी करने से कोई संबंध नहीं है। यह भी प्रतिवाद है कि ठेकेदार ने रिट-सी संख्या 25835 / 2025 प्रस्तुत की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



थी, जिसमें केवल अनुबंधित राशि के भुगतान के लिए निर्देश दिया गया था, तथापि, बिंदु मात्र साक्ष्य के बिना ही, रिट याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया है।

2. विद्वान राज्य सरकार के अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव निर्देश प्राप्त करने के लिए समय माँगते हैं।

3. इस मामले को 'नये' वाद के रूप में दिनांक 07.01.2026 पर सूचीबद्ध करें।"

5. तत्पश्चात दिनांक 16.02.2026 को, इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करने के लिए सुनवाई की:-

"1. पिछले आदेश के अनुपालन में, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने दिनांक 05.01.2026 की लिखित निर्देश प्रस्तुत की है। इसके पैरा-2 के अनुसार, यहाँ का याचिकाकर्ता तथा एक अन्य सहायक अभियंता श्री शैलेंद्र कुमार ने एक निजी ठेकेदार से मरम्मत का कार्य करवाया और तत्पश्चात उक्त अनुबंध को नौ भागों में विभाजित कर दिया और बिना निविदा प्रक्रिया का पालन किए यह कार्य कार्यकारी अभियंता, श्री संजय प्रसाद के अनुमोदन से करवाया गया। विवादित आदेश दिनांक 05.12.2025 के द्वारा, यहाँ के याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया है और कार्यकारी अभियंता, अनुसंधान एवं रोजगार प्रभाग, झांसी में संलग्न कर दिया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि तब से न तो निर्वाह भत्ता का भुगतान किया गया है और न ही अभी तक याचिकाकर्ता को कोई आरोप पत्र जारी किया गया है। निर्देश में भी, इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि आज तक याचिकाकर्ता को कोई आरोप पत्र जारी किया गया है या याचिकाकर्ता को कोई निर्वाह भत्ता का भुगतान किया गया है, न ही सहायक अभियंता, श्री शैलेंद्र कुमार तथा कार्यकारी अभियंता, श्री संजय प्रसाद के विरुद्ध की जा रही किसी कार्रवाई के संबंध में कोई संदर्भ है, जो निर्देश के पैरा-2 के अनुसार उपरोक्त कृत्य के लिए भी उत्तरदायी थे।

3. इस परिप्रेक्ष्य में, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह सकारात्मक रूप से एक सप्ताह के भीतर उचित दिशा-निर्देश प्राप्त करें।

4. इस मामले को दिनांक 24.02.2026 को उचित पीठ के समक्ष 'ताजा' के रूप में सूचीबद्ध करें। इससे पूर्व प्रदान कोई अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, अगली सूचीबद्ध तिथि तक विस्तारित किया जाता है।"

6. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि विवादित आदेश इस साधारण कारण से कायम नहीं रखा जा सकता है कि रिट याचिकाकर्ता एक कनिष्ठ अभियंता है और आरोप ह्यूम पाइप बिछाने, सुरक्षा दीवार, पिचिंग और अर्जुन मुख्य नहर किमी. 36.710 से 36.740 से संबंधित अन्य कार्यों को संदर्भित करते हैं, जो ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान करने और राज्य के कोष को ठगने से संबंधित है, जिसका "अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



रिट याचिकाकर्ता से कोई सह-संबंध नहीं है, विशेषकर तब जबकि यह कार्यकारी अभियंता और अधीक्षण अभियंता हैं, जो भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। प्रस्तुतीकरण यह है कि रिट याचिकाकर्ता को अलग-थलग कर दिया गया है, जबकि अन्य अधिकारी, जो मामलों के शीर्ष पर हैं, उन्हें निलंबित या विभागीय रूप से अभियोजित नहीं किया गया है।

7. प्रतिवाद है कि रिट याचिकाकर्ता वो कार्य कर रहा था, जो उसे वरिष्ठ प्राधिकारी के आदेशों के अधीन आवंटित किए गए थे। उसने वे कृत्य किए थे, जो उस संबंध में आधिकारिक प्रकृति के थे। आगे प्रस्तुतीकरण है कि यद्यपि प्रतिवादियों द्वारा प्रदान की गई निर्देश में, निविदाओं को संख्याओं में अलग करने के आरोप हैं, किंतु निविदाएं किसी भी समय रिट याचिकाकर्ता द्वारा या तो तैयार नहीं की गई थीं या प्रसारित (फ्लोट) नहीं की गई थीं। प्रतिवाद है कि यद्यपि निलंबन आदेश दिनांक 05.12.2025 का है, किंतु आज तक, कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है और आगे यह कि ठेकेदारों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप स्वयं समाप्त हो जाता है, इस साधारण कारण से कि एम/एस ओम बब्बा कंस्ट्रक्शंस, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह एक ठेकेदार है, ने भुगतान करने का निर्देश देने की मांग करते हुए इस न्यायालय के समक्ष रिट-सी संख्या 25835 / 2025 प्रस्तुत की थी। इस प्रकार राज्य के कोष को ठगने का कोई प्रश्न ही नहीं है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिकाकर्ता विभागीय कार्यवाही का सामना करने से डरता नहीं है, इस प्रकार निलंबन आदेश जारी नहीं रखा जा सकता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव ने उनके द्वारा दिनांक 05.01.2026 एवं 25.02.2026 को प्रस्तुत की गई निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किया है कि रिट याचिकाकर्ता ने कदाचार किया है, जिसके अनुपालन में उसे निलंबित कर दिया गया है। प्रतिवाद है कि रिट याचिकाकर्ता ने मापन का कार्य किया है और उसकी अनुशंसा पर, भुगतान किए गए हैं और आगे उनके अनुसार, रिट याचिकाकर्ता उक्त अनुबंधों को निविदा प्रक्रिया का पालन किए बिना नौ भागों में विभाजित करते हुए निविदा को प्रसारित करने में भी सहायक था। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें केवल रिट याचिकाकर्ता को निलंबित करके अलग-थलग किया गया है, बल्कि श्री संजय प्रसाद, जो तत्कालीन कार्यकारी अभियंता हैं, उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है।

9. मैंने न्यायाधीश पीठ के समक्ष इस प्रकार किए गए तर्कों को सुना है तथा अभिलेखों को ध्यानपूर्वक देखा है।

10. स्पष्टतः, रिट याचिकाकर्ता एक कनिष्ठ अभियंता होता है, जिसकी सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी नियम, 1999 के उपबंधों के अधीन विनियमित होती हैं। यह रिट याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि उसे किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया गया है, जो उसे निलंबित करने के लिए सक्षम नहीं था। इसके अतिरिक्त, निलंबन आदेश स्वयं यह दर्शाता है कि उस संबंध में जांच की परिकल्पना की गई है। जहाँ तक निलंबन आदेश में निहित आरोपों का संबंध है, इस न्यायालय को इस मोड़ पर आरोपों के गुण-दोष में गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे जांच का विषय हैं। प्रश्न भिन्न हो सकता था, “अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



यदि अनुशासनिक प्राधिकारी के पास सरकारी कर्मचारी को निलंबित करने का निर्णय लेने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं होता। तथापि, स्थिति विपरीत है, विशेषकर जब आरोप अर्जुन मुख्य नहर किमी. 36.710 से 36.740 के संबंध में हयूम पाइप, सुरक्षा दीवार बिछाने के संबंध में ठेकेदार को अनुचित लाभ प्रदान करने से संबंधित हैं। किसी भी स्थिति में, आरोप सही हैं या नहीं, इस पर वर्तमान कार्यवाहियों में इस अवस्था पर विचार नहीं किया जाना है, जबकि निलंबन आदेश चुनौती का विषय है। इसके अलावा, न्यायालय पाता है कि अनुशासनिक प्राधिकारी के पास रिट याचिकाकर्ता को निलंबित करने के लिए सामग्री उपलब्ध थी, क्योंकि यह न्यायालय अनुशासनिक प्राधिकारी के मन की बात में यह प्रश्न पूछते हुए प्रवेश नहीं कर सकता है कि क्या निलंबन आदेश उचित था या नहीं, विशेषकर जब आदेश में सामग्रियाँ वर्णित हैं। जहाँ तक विभेद के आरोप का संबंध है कि रिट याचिकाकर्ता को निलंबन के मामले में अलग-थलग कर दिया गया है, कार्यकारी अभियंता, महोबा का निर्देश दिनांक 26.01.2026, पैरा-4 स्वयं यह दर्शाती है कि तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, श्री संजय प्रसाद के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही की गई है।

11. एक स्पष्ट प्रश्न पर, जो विद्वान स्थायी अधिवक्ता से पूछा गया कि क्या आरोप पत्र तैयार किया गया है और रिट याचिकाकर्ता पर तमील किया गया है, उत्तर यह है कि आरोप पत्र अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन हेतु भेजा गया है और वह शीघ्र ही रिट याचिकाकर्ता पर तामील किया जाएगा। विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव ने उनके द्वारा प्राप्त अनुदेशों के अनुसार न्यायाधीश पीठ के समक्ष यह कथन भी दिया है कि रिट याचिकाकर्ता को निर्वाह भत्ता का भुगतान भी किया जा रहा है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12. उपरोक्त तथ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय प्रथम दृष्टया (प्राइमा फेसी) रिट याचिकाकर्ता को निलंबित करने में प्रतिवादियों द्वारा की गई कोई अवैधता नहीं पाता है।

13. तदनुसार, हस्तक्षेप अस्वीकार किया जाता है। रिट याचिका का निस्तारण अनुशासनिक प्राधिकारी को दिनांक 13.03.2026 तक रिट याचिकाकर्ता पर आरोप पत्र की तमिल कराने की आवश्यकता बताते हुए किया जाता है तथा रिट याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही दिनांक 30.05.2026 तक समाप्त कर ली जाएगी। रिट याचिकाकर्ता जांच कार्यवाहियों में भाग लेगा और वैधानिक अपेक्षा की पूर्ति के अधीन उसे निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जाएगा। यदि, रिट याचिकाकर्ता के सहयोग के बावजूद, इस न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच समाप्त नहीं की जाती है, तो निलंबन आदेश प्रतिवादियों द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा।

14. आज दायर की गई निर्देशों अभिलेख में ली जाती हैं और परिशिष्ट 'ए' एवं 'बी' के रूप में अंकित की जाती हैं।

24 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”